भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †4200
सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना

†4200. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हमारे देश में विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं और कार्यक्रम हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन गतिविधियों के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय और उसके विभागों ने पर्यटन से जुड़े हितधारकों के लिए कोई क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पर्यटन मंत्रालय विरासत पर्यटन सहित देश के पर्यटन गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है । यह संवर्धन घरेलू और महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों में ‘‘ आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार’’ (डीपीपीएच) और ‘‘विदेशी संवर्धन और प्रचार (ओपीपी) योजनाओं के तहत किया जाता है । देश में पर्यटक गंतव्यों पर जानकारी को पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org, देखो अपना देश वेबिनारों और सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है ।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए ‘स्वदेश दर्शन’ ‘तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)’ और ‘पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता’ योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विरासत पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि आगंतुकों को एक बेहतरीन पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके ।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन गतिविधियों के संदर्भ में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण अनुबंध-। में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवाप्रदाताओं को प्रत्येक स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए ''सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण'' (सीबीएसपी) योजना तैयार की है । इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन सेवाप्रदाताओं के प्रत्येक स्तर पर श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और अद्यतन करना है ताकि देश की अपार पर्यटन संभावनाओं का संपूर्ण लाभ उठाया जा सके और स्थानीय लोगों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्यटन क्षेत्र में, नवीन अवसरों का सृजन किया जा सके । सीबीएसपी योजना के माध्यम से कार्यान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार में वृद्धि करना है ताकि वे अनौपचारिक से औपचारिक नौकरियों की ओर बढ़ सकें जिसके परिणामस्वरूप उनकी आमदनी में वृद्धि हो और/या उन्हें कार्य करने का बेहतर माहौल मिल सके ।

आरंभ किए गए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †4200 के भाग (ख) के उत्तर में विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | उपलब्धि |
|---|---|
| 1 | स्वदेश दर्शन योजना: पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2015 में थीम आधारित पर्यटक परिपथों के विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना शुरू की। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटक परिपथों के विकास हेतु 15 थीमों को चिन्हित किया है। योजना के तहत 5315.59 करोड़ रु. की राशि से कुल 76 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थाई और जिम्मेदार गंतव्यों को विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित कर दिया है। |
| 2 | प्रशाद योजना: पर्यटन मंत्रालय ने देश में चयनित तीर्थ स्थलों के एकीकृत विकास के लिए जनवरी 2015 में तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना शुरू की। अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 73 स्थलों को चिह्नित किया गया है। योजना के तहत 1586.10 करोड़ रु. की राशि से कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। छोटी/लघु परियोजनाओं की श्रेणी में भी 10 राज्यों में 33 स्थानों को चिह्नित किया गया है। |
| 3 | केंद्रीय एजेंसियों को सहायता: योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान 737.89 करोड़ रु. की राशि से कुल 51 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत ध्वनि और प्रकाश शो, क्रूज टर्मिनलों का विकास, रेलवे स्टेशनों का संयुक्त विकास आदि परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। |
| 4 | अतुल्य भारत 2.0: पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के दौरान अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया। 2.0 अभियान दुनिया भर में सामान्य प्रचारों से बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं और सामग्री निर्माण में परिवर्तन का एक प्रतीक है। योग, निरोगता, वन्य जीवन, भोजन, विलासिता, बौद्ध स्थल, गोल्फ, चिकित्सा पर्यटन, रिवर क्रूज़ आदि सहित विभिन्न निश उत्पादों पर थीमैटिक क्रिएटिव्स दुनिया भर में वैश्विक |

| | |
|---|---|
| | टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन/सोशल मीडिया पर निर्मित और प्रदर्शित किए गए। |
| 5 | देखो अपना देश: पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की। इस पहल के तहत मंत्रालय हितधारकों से संपर्क बनाए रखने और नागरिकों को देश में ही घूमने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, शपथ, चर्चाएं आदि का आयोजन कर रहा है । पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर तथा घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से 'देखो अपना देश' का व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। अब तक 175 से अधिक वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं । |
| 6 | विदेश मंत्रालय (एमईए) ने वर्ष 2021 में निम्नलिखित देशों के 20 भारतीय मिशनों में पर्यटन अधिकारियों को नामित किया - श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मलेशिया, ओमान, म्यांमार, स्पेन, थाईलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूके और यूएसए। |
| 7 | पर्यटन मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम), एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) और हर घर तिरंगा (एचजीटी) से संबंधित विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए। उपर्युक्त पहल के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालाओं, निबंध लेखन प्रतियोगिता, हेरिटेज वॉक आदि का आयोजन किया गया। |
| 8 | पर्यटन मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में 'युवा पर्यटन क्लब' स्थापित करने की पहल की है ताकि युवा राजदूतों का संपोषण और विकास किया जा सके जो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक होंगे। उम्मीद है कि पर्यटन क्लबों में भागीदारी से जिम्मेदार पर्यटन की कार्यप्रणाली को अपनाने और सतत पर्यटन के सरोकारों को बढ़ावा देने के अलावा टीम वर्क, प्रबंधन, नेतृत्व जैसे व्यावहार कौशलों का विकास भी सुगम होगा। |
| 9 | पर्यटन मंत्रालय ने 'उत्सव पोर्टल' शुरू किया है, यह एक डिजिटल पहल है जिसका लक्ष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटक गंतव्यों के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु सम्पूर्ण भारत के सभी कार्यक्रमों, महोत्सवों और लाइव दर्शनों को प्रदर्शित करना है। |
| 10 | पर्यटन मंत्रालय ने यात्रियों के आगमन मे वृद्धि करने के लिए वर्ष 2023 को "इनक्रेडिबल इंडिया! विजिट इंडिया ईयर" घोषित किया है। |
| 11 | हिमालय चोटियों को खोला जाना: देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु 120 से अधिक नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं। |
| 12 | होटल के कमरों पर जीएसटी में कमी: जीएसटी परिषद ने होटल के कमरे जिनका टैरिफ दर 1,001 से 7,500 /- रु. प्रति रात्रि है, में 12% तक; जो 7,501 से अधिक हैं उन पर 18% तक कर की कटौती की है, ताकि वे इस क्षेत्र में अन्य पर्यटन |

| | |
|---|---|
| | बाजारों की तुलना में पर्यटन स्थल के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकें। |
| 13 | आरसीएस उड़ान 3: आरसीएस उड़ान-3 पर्यटन के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया और प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 59 पर्यटन मार्गों को शामिल करवाया । वर्तमान में 51 पर्यटन मार्ग प्रचालनरत हैं। |
| 14 | एनआईडीएचआई : पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डाटाबेस (एनआईडीएचआई) नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली शुरू की आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए डिजिटलीकरण की सुविधा और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ''आत्मनिर्भर भारत'' के साथ संरेखित है । यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के भौगोलिक प्रसार, इसके आकार, संरचना और मौजूदा क्षमता पर एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है ताकि उद्योग को प्रासंगिक सेवाएं जैसे शोकेसिंग, स्टार वर्गीकरण आदि की पेशकश की जा सके। इस पहल को अब और अधिक समावेशी बनाने के लिए एनआईडीएचआई+ के रूप में अपग्रेड किया गया है, यानी न केवल आवास इकाइयों के बीच, बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय इकाइयों, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, कन्वेंशन सेंटरों और पर्यटक सुविधाप्रदाताओं के बीच भी। |
| 15 | एसएएटीएचआई: पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से अतिथियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आतिथ्य उद्योग की तैयारी में उनकी सहायता करने के लिए आतिथ्य उद्योग हेतु जागरूकता, मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रणाली (एसएएटीएचआई) योजना शुरू की। भारत में पर्यटन दोबारा शुरू होने पर होटल मालिक तीन आसान चरणों में स्वयं प्रमाणन, भागीदारी प्रमाण पत्र और साइट मूल्यांकन का अनुसरण करके साथी के माध्यम से आसानी से खुद को प्रशिक्षित और प्रमाणित करा सकते हैं। |

*********

अनुबंध-II

विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 27.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †4200 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण

"सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" (सीबीएसपी) योजना के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:-

| क्र. सं. | कार्यक्रम का नाम | कार्यक्रम का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | हुनर से रोजगार तक | यह कार्यक्रम वर्तमान में 160 घंटे से 700 घंटे के कुल 11 लघु अवधि के पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। इन 11 पाठ्यक्रमों में से 8 पाठ्यक्रम यथा मल्टी कुजीन कुक, खाद्य एवं पेय सेवाएं, रूम अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस, लॉन्ड्री मशीन ऑपरेटर, किचन स्टुवर्ड, होम डिलीवरी बॉय और ट्रेडिशनल स्नैक एंड सेवरी मेकर आतिथ्य से संबंधित हैं तथा अन्य तीन गैर-आतिथ्य संबंधी पाठ्यक्रम यथा हथियार रहित सुरक्षा गार्ड, हेरिटेज गाइड और टूर गाइड गैर-आतिथ्य पाठ्यक्रम हैं और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28 फरवरी, 2022 तक कुल 6496 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है। |
| 2 | कौशल परीक्षण और प्रमाणन | खाद्य उत्पादन, खाद्य एवं पेय सेवा, बेकरी और हाउसकीपिंग जैसे चार आतिथ्य ट्रेड में मौजूदा सेवा प्रदाताओं का परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए मौजूदा सेवा प्रदाताओं का कौशल परीक्षण और प्रमाणन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28 फरवरी, 2022 तक कुल 4617 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है। |
| 3 | उद्यमिता कार्यक्रम | इस कार्यक्रम के तहत (i) कुक - तंदूर, (ii) बार मैन, (iii) बेकर, (iv) होमस्टे (मल्टी-स्किल्ड केयरटेकर) और (v) हलवाई - भारतीय मिष्ठान के व्यवसाय में 150 घंटे की अवधि वाले पांच पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28 फरवरी, 2022 तक कुल 1111 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है। |
| 4 | भाषाई पर्यटक सुविधाप्रदाता | मंत्रालय ने 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' योजना के तहत अपनी स्वत: प्रेरित पहल के तहत पर्यटक |

| | | |
|---|---|---|
| | (एलटीएफ): | सुविधाप्रदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 6 सप्ताह के भाषा पाठ्यक्रम अर्थात अंग्रेजी, डच, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि शुरू किए हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विभिन्न देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति का निर्माण करना और विदेशी पर्यटकों से उनकी अपनी भाषाओं में प्रभावी ढंग से संपर्क करने के लिए मौजूदा सेवा प्रदाताओं के कौशल को उन्नत करना है। लक्ष्य समूह किसी भी विषय में +2 या समकक्ष हो और उनकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए । आईआईटीटीएम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 270 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 मे 28 फरवरी, 2022 तक इस पहल के तहत कुल 240 प्रशिक्षुओं को प्रमाणित किया गया है। |
| 5 | गंतव्य आधारित कौशल विकास | पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7 प्रतिष्ठित स्थलों यानी आगरा में ताजमहल, हुमायूं मकबरा, लाल किला, दिल्ली में कुतुब मीनार, बिहार में महाबोधि मंदिर, गोवा में कोलवा बीच और असम में काजीरंगा में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।<br><br>इस पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 44 गंतव्यों पर कुल 3715 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 51 गंतव्यों पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 4015 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित/प्रभावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28 फरवरी, 2022 तक कुल 2676 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। |

*****